

तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.160/2019

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक-20.12.19

सरकार बनाम रामेश्वर वगै०

निर्णय


पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम खरकडी तहसील कोटपूतली के ख० न० 229/0.13है० किस्म गै०मु० रास्ता भूमि मेंसे 0.01 है० पर रामेश्वर , रामशरण पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी खरकडी ने लेटरिन , बथरूम व ईट रख कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायलान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसालान रामेश्वर , रामशरण पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी खरकडी ने वाके ग्राम खरकडी के खसरा नंबर 229/0.13है० किस्म जमीन गै०मु० रास्ता की भूमि मेंसे 0.01है० भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः रामेश्वर , रामशरण पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी खरकडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम खरकडी तहसील कोटपूतली के ख० न० 229/0.13है०,किस्म गै०मु० रास्ता मे से 0.01है० भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर बनाई गई लेटरिन, बाथरूम को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी०.04रू. का पचास गुणा 20 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू-


तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदा
कोटपूतली जय

क्रमांक 200 01 क १० ल० ६
पृष्ठ संख्या थर
समे का य किये गये ।

राजस्व लेखाकाय
कोटपूतली